(87)

<u>न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.)</u>

निगरानी प्रकरण क्रमांक : /2018

III/ निगरानी/अशोकनगर/भू.रा./2018/2538

जगन्नाथ पुत्र नारायणदास पिप्पल जाति अहिरवार, निवासी दिल्ली दरवाजा चंदेरी जिला अशोकनगर —— निगरानीकर्ता/प्रार्थी

बनाम

1— गुलाबचन्द जैन पुत्र दौलतराम जैन निवासी प्राणपुर हॉल निवासी चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

2— शासन द्वारा पटवारी ग्राम नावनी तहसील चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र.

—— अनावेदकगण/प्रतिप्रार्थीगण

श्री राधा मोहन तिवारी द्वारा आज दि. 24-4-18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक बहस हेतु दिनांक 4-5-18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 24-4-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 विद्वान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अनुभाग चंदेरी जिला अशोकनगर म.प्र. द्वारा प्रकरण क्रमांक 14—अपील/2016—17 पक्षकारगण गुलाबचन्द जैन बनाम शासन तथा अन्य में पारित आदेश दिनांक 15.02.2018 जिसके द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील में पारित आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधार पर प्रस्तुत करते हैं।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :—

<u>प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य</u> :

1— अनावेदक क्रमांक—1 ने एक आवेदन पत्र म.प्र. भू—राजस्व संहिता की धारा 109—110 के तहत प्रस्तुत कर उल्लेख किया कि ग्राम नावनी तहसील चंदेरी में स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 500/2 रकबा 0.366 हे. भूमि राजस्व रिकार्ड में कल्लू पुत्र रामस्वरूप जाति लोधी निवासी ग्राम जारसलचक के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित है। कल्लू ने विक्रय—पत्र दिनांक 18.01.2017 को उप—पंजीयक

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-तीन/निग./अशोकनगर/भू.रा./2018/2538

जगन्नाथ विरूद्ध गुलाबचंद आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/6/19	प्रकरण आज लिया गया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी अनुभाग चंदेरी जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक- 14/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 15/2/18 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह निगरानी सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 8/08/19 को कलेक्टर जिला अशोकनगर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। 17/6/19 (आर0के0 जैन) सदस्य	